

न्यायालय तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राज0)

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का शिरावा बनाम धनधाम 810 मोथा जग

निर्णय

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- RA/13/2022निर्णय दिनांक :- 12/3/2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कांसरीली की आ0 ख0 नं0 469 कुल रकबा 0.71 किस्म जमीन चारागाह में से 0.05 रकबे पर श्री धनधाम 810 मोथा जग पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर सुरीबोर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का शिरावा मसारी द्वारा दिनांक 27/01/2022 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू0 अ0 निरीक्षक टिपूरी के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी धनधाम 810 मोथा जग जाति जग निवासी कांसरीली को भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी धनधाम 810 मोथा जग उपस्थित नहीं हुआ/हुआ। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है। जिसमें अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण हटाने की लिखित सहमति दी गई।

उक्त रकबा आ0 ख0 नं0 469/0.71 रकबा 0.71 में से 0.05 रकबे किस्म चारागाह है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल ^{व फल निलामी} किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 14 Paisa का 50 गुणा 75 (Seventy five) रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है। मांग कायमी हेतु टी.आर.ए. को लिखा जावे। पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी शिरावा भू0 अ0 निरीक्षक टिपूरी को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मं
तहसीलदार
तहसील (कठूमर)